




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 89]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 1999/आश्विन 30, 1921

No. 89]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 1999/ASVINA 30, 1921

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1999

संख्या : एम.सी.आई.-34(41)/98-मैड.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, आयुर्विज्ञान कालेज स्थापना विनियम, 1999 में संशोधन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) ये विनियम आयुर्विज्ञान कालेज स्थापना (संशोधन) विनियम, 1999 कहे जायेंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- आयुर्विज्ञान कालेज स्थापना विनियम, 1999 के विनियम 4, दूसरे वाक्य में उल्लिखित शब्द यथा "जिसमें से अन्तिम (पाँचवा) तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के मूल्यांकन के लिए होगा" हटा दिए गए हैं।

श्रीमती एम. सचदेवा, सचिव

पाद टिप्पणी:— मूल विनियम आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना संख्या : 34(41)/98-मैड. दिनांक 30 जुलाई, 1999 द्वारा (भारत सरकार के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में) 28-8-99 को प्रकाशित किए गए।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 1999

No. MCI-34(41)/98-Med.—In exercise of the powers conferred by Section 10A read with section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Establishment of Medical College Regulations, 1999, namely:—

- (1) These regulations may be called the Establishment of Medical College (Amendment) Regulations, 1999.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Establishment of Medical College Regulations, 1999, in regulation 4, in the second sentence, the words "of which the last (fifth) shall be for the evaluation of 3rd professional examination" shall be deleted.

Mrs. M.SACHDEVA, Secy.

Footnote:— The Principal regulations were published in Part III, section 4 of the Gazette of India dated 28-8-99 vide MCI notification No. 34(41)/98-Med., dated the 30th July, 1999.

